



कार्यालय समन्वयक, पी.टी.ई.टी.-2025

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा



PTET-2025 फ़ीस रिफण्ड हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. शुल्क वापसी हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। फ़ीस रिफण्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दिया गया खाता वर्तमान में संचालित (Operational) है।
3. ई मेल से प्रेषित बैंक डिटेल के आधार पर कोई रिफण्ड नहीं किया जाएगा। अपनी बैंक डिटेल अनावश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।
4. केवल अभ्यर्थी, पिता या माता के नाम का बैंक खाता ही रिफण्ड हेतु मान्य होगा। अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम के बैंक खाते में रिफण्ड किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. अभ्यर्थी बैंक डिटेल सावधानी पूर्वक भरें। गलत बैंक विवरण दर्ज किये जाने के कारण भुगतान सम्बन्धी समस्या के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
6. गलत बैंक डिटेल हेतु अभ्यर्थी पूर्णतः उत्तरदायी होगा। इस कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में न तो पुनः भुगतान आवेदन स्वीकार किया जाएगा न ही पुनः भुगतान किया जाएगा।
7. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि PTET-2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। प्रवेश करने/कॉलेज परिवर्तित करने / प्रवेश निरस्त करने जैसे आवेदन अनावश्यक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें ना ही सम्बंधित महाविद्यालय के माध्यम से प्रेषित करवायें।

समन्वयक

पी.टी.ई.टी 2025